बिहार सरकार
कृषि विभाग

संकल्प

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियों (विघटित) के समायोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 4452/2012 राम सूरत सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा के छः अन्य सदृश मामलों में दिनांक 22.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 की धारा–06 के तहत् गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक–25.01.2016 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–22.06.2016 की बैठक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित)/कृषि उत्पादन बाजार समितियों (विघटित) के समायोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा की निरन्तरता बनाये रखने, उनकी संवर्गीय वरीयता का निर्धारण करने तथा उनको सेवान्त लाभ देने के मामले में निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1. बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियों (विघटित) के समायोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को समान पद एवं वेतन संरक्षण तथा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ACP) का लाभ दिया जा चुका है अतः विघटित पर्षद/बाजार समितियों के समायोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं बाजार समितियों में बितायी गयी सेवा की निरन्तरता बनी रहेगी।

2. बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियों (विघटित) के समायोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्गीय वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण हेतु निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के आधार पर समायोजित कर्मियों के विभागों द्वारा किया जायेगा।

3. बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियों के विघटन के पूर्व इनके कर्मियों के लिए किसी प्रकार की कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी तथा ये कर्मी सी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित थे। विघटन के पश्चात् पर्षद के कर्मियों की सी0पी0एफ0 में संचित राशि पर्षदीय अनुदान की राशि तथा उपादान एवं अन्य सभी भुगतान किया जा चुका है। अतः पर्षद/बाजार समितियों के विघटन के पश्चात

विभिन्न विभागों में समायोजित कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के मामले में पर्षद / बाजार समितियों के विघटन के पूर्व की स्थिति यथावत लागू रहेगी।

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश / निदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–4 / कृषि विधि–10 / 12 कृ० पटना, दिनांक–.........

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को कॉम्पैक्ट डिस्क एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

ह० / –

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–4 / कृषि विधि–10 / 12 कृ० पटना, दिनांक–.........

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–4 / कृषि विधि–10 / 12 कृ० पटना, दिनांक–.........

प्रतिलिपि :— संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–22.06.2016 में मद सं०–13 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह० / --

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–4 / कृषि विधि–10 / 12 3054 कृ० पटना, दिनांक–......... 13/7/2016

प्रतिलिपि :— सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.2016

सरकार के प्रधान सचिव ।